



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 412]
No. 412]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 16, 1995/अश्विन 24, 1917
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 1995/ASVINA 24, 1917

वित्त मंत्रालय
[राजस्व विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1995

सा. का. नि. 682[अ]—केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 [1988 का 46] की धारा 9 के खण्ड [क] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय [राजस्व विभाग] की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 660[अ], तारीख 3 जुलाई, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अध्याय से संबंधित क्रम सं. 1 और खण्डों से संबंधित क्रम सं. 2 और क्रम सं. 3 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"अध्याय

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. बाबरी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय,

सदस्य

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाडोली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय,

3. माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. के. जैन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।"

[एफ. सं. 820/25/92-पी-आई-टी,एन-डी-पी-एस-]

प्रकाश चन्द्र, अवत सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 1995

G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. GSR 660(E) dated 3rd July, 1992, namely :—

In the said notification for serial number 1 relating to Chairman and serial numbers 2 and 3 relating to members, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"Chairman

1. Hon'ble Mr. Justice, P. K. Bahri, Judge of the Delhi High Court;

Members

2. Hon'ble Mr. Justice R. C. Lahoti, Judge of the Delhi High Court.
3. Hon'ble Mr. Justice D. K. Jain, Judge of the Delhi High Court."

[F. No. 820/25/92-PITNDPS]
PRAKASH CHANDRA, Under Secy.